दादरा और नगर हवेली तथा दमण-दीव केंद्रशासि

प्रदेश विलय विधेयक 2019 लोकसभा में पेश

■ गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में दादरा और नगर हवेल
तथा दमण और दीव केंद्रशासित प्रदेश विलय विधेयक 2019 पेश किया

(असली आजादी न्यूज नेटवर्क) नयी दिल्ली 26 नवंबर। दो केंद्रशासित प्रदेशों दमण तथा दीव और दादरा एवं नगर हवेली का विलय कर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाने के प्रावधान वाले एक विधेयक को लोकसभा में मंगलवार को पेश किया गया। निचले सदन में गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने दादरा और नगर हवेली एवं दमण तथा दीव (केंद्रशासित प्रदेशों का विलय) विधेयक 2019 पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की नीति के तहत दोनों संघ राज्य क्षेत्रों की कम जनसंख्या और सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर विचार करते हुए दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों का एक संघ राज्य क्षेत्र में विलय करने का निश्चय किया गया और इसलिये यह विधेयक लाया गया है। इसमें कहा गया है कि दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के विलय के लक्ष्य दक्षता बढ़ाकर और कागजी कार्यों में कमी लाकर दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना, प्रशासनिक व्यय में कमी लाना, नीतियों और योजनाओं में एकरूपता लाना, योजनाओं की बेहतर निगरानी करना तथा विभिन्न कर्मचारियों के कॉडर का बेहतर प्रबंधन करना आदि हैं। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि दमण एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना, इतिहास, भाषा और संस्कृति एक जैसी हैं। दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के सचिव, पुलिस प्रमुख, वन संरक्षक सामान्य हैं और गृह मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पदस्थापित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी उनके कार्य आवंटन के अनुसार इन दोनों राज्यों में सेवाएं देते हैं। इसके अलावा दो सचिवालय और दो समांतर विभाग हैं। दादरा और नगर हवेली में सिर्फ एक जिला है जबकि दमण और दी में दो जिले हैं। विधेयक में कह गया है कि दो संघ राज्य क्षेत्र दो पृथक संवैधानिक औ प्रशासनिक सत्ता होने के कार कार्य में दोहराव होता है, का क्षमता में कमी आती है औ फिजूलखर्ची बढ़ती है जिस सरकार पर अतिरिक्त वित्ती भार आता है। यह देखते हुए इ विधेयक को लाया गया है गौरतलब है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 के तहत जम और कश्मीर को दिए गए विशे दर्जे के अधिकांश प्रावधानों क पांच अगस्त को समाप्त कर और राज्य को दो केंद्रशासि प्रदेशों में विभाजित करने क घोषणा की थी। जम्मू औ कश्मीर तथा लद्दाख के कें शासित प्रदेश बनने बाद वर्तमा में देश में नौ केंद्र शासित प्रदे हैं। दमण और दीव तथा दाद एवं नगर हवेली के विलय के बाद केंद्रशासित प्रदेशों क संख्या घटकर आठ हो जाएगी

दीव के मलाला ऑडिटोरियम में संविधान दिव